

राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग

क्रमांक-एफ.1 / COVID-19 / 2020

दिनांक 26.03.2020

आदेश

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से उत्पन्न स्थिति के अन्तर्गत लागू "लॉक डाऊन" के दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 40-3/2020-D दिनांक 24.03.2020 के बिन्दु संख्या 5(b) के अनुसार "Production units, which require continuous process, after obtaining required permission from the State Government" एवं गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 22.03.2020 के बिन्दु संख्या 3 (3 एवं 4) की अनुपालना सुनिश्चित करने एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 26.03.2020 के बिन्दु संख्या A-5(b) एवं C-3 के क्रम राज्य में ऐसी इकाईयां जिनका उत्पादन Continuous Nature का है एवं जिनको तत्काल बन्द करना सम्भव नहीं है, उनको निरन्तर चालु रखने एवं उनके वाहनों एवं श्रमिकों के आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को स्वीकृति पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इस स्वीकृति पत्र की एक प्रति आवश्यक रूप से सम्बन्धित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, प्रबन्ध निदेशक, रीको एवं आयुक्त, उद्योग विभाग को अग्रेषित की जायेगी।

ऐसे उद्योग जिनका एक से अधिक जिलों में निर्माण कार्य हो रहा है, उनके अनुमति पत्र श्री अविन्द्र लढ्ढा, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं विशिष्ट शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान को अधिकृत किया जाता है।


(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
26/03/2020
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, रीको उद्योग भवन, जयपुर।
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
8. श्री अविन्द्र लढ्ढा, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग।
9. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।


26/03/2020
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग